रेरा ने सात प्रोमोटरों पर 50-50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

संवाददाता, पटना

बिहार रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने सात प्रोमोटरों के खिलाफ 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है. यह वैसे प्रमोटर्स थे, जो प्राधिकरण का वेबसाइट पता और रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख किये बिना अपनी संबंधित परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार कर रहे थे. रेरा अधिनियम में प्रमोटरों को किसी भी प्रकार के विज्ञापन में प्राधिकरण के वेबसाइट पते और परियोजना को प्रदान किये गये रेरा निबंधन संख्या देना अनिवार्य है. जिन प्रमोटर्स पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें फर्स्ट होम बिल्डकॉन, साकार कंस्ट्रक्शन, एसके बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स, अमर कंस्ट्रक्शन और अन्य बिल्डर शामिल हैं. इन कंपनियों ने सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और अन्य प्लेटफार्मों पर प्राधिकरण के वेबसाइट पते और परियोजना को प्रदान किये गये रेरा निबंधन संख्या के बिना विज्ञापन दिया था. अधिनियम के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए प्राधिकरण ने प्रमोटरों को अध्यक्ष की पीठ के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था. इस मामले में सभी प्रतिवादियों ने अपनी गलती स्वीकार की.

आदेश में कहा गया है कि प्रमोटरों को 60 दिनों में जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ रेरा अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों और विनियमों की सुसंगत धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई की जायेगी.

urday, March 1, 2025
na-City
ps://epaper.prabhatkhabar.com/clip/67c213a5b6b1199fd9fdac3a